निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 271) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
6 मई 2020

एस० ओ० 114, दिनांक 6 मई 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करते हैं जिससे–

(क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

बिहार माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमावली के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–8) 788)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

6 मई 2020

एस० ओ० 114, दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–8) 788)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 114, Dated 6th May 2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) , the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

(a) authorised signatory of all types;
(b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
(c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 788)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 271-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in